न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **80/2018** दायर दिनाँक **21.03.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सन्तोषदेवी पत्नी मोहनलल, उम्र–39साल, 2. मोहनलाल पुत्र हजारीमल, उम्र–45साल, समस्त,जाति–जाँगिड़, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बनवारीलाल पुत्र प्रेमराज महाजन, उम्र–52साल, 2. शान्ति पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र–71साल, 3. भगवती पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र–65साल, 4. सुवादेवी पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र–61साल, समस्त,जाति–महाजन, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण उपस्थित।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **30.05.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डाबड़ा के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 32.06 बीघा अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि खातेदार पवनकुमार पुत्र पेमराज सहित अन्य सहखातेदारान् सहित संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

पवनकुमार पुत्र पेमराज महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के दिनाँक 25.03.2015 को वादी संख्या 01 सन्तोषदेवी को रकबा 06.00 बीघा का विक्रय किया। वादी संख्या 02 ने दिनाँक 25.03.

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

2015 को हिस्सा 280/646 व दिनाँक 29.06.2016 को हिस्सा 95/646 के क्रय किया।

प्रार्थना वादीगण है कि,

वादीगण का वाद नजरीनक्शा में दिये गये मार्क मुताबिक तथा रास्ता की भूमि रकबा 0.05 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 से दिलाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा सम्वत् 2072-2075 खेवट संख्या 321/17 प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय-पत्र क्रम संख्या 1287/16 दिनाँक 29.06.2016 व क्रम संख्या 372/15 दिनाँक 25.03.2015 तथा क्रम संख्या 371/15 दिनाँक 25.03.2015 की छायाप्रतियाँ पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-कलवानी में प्रकरण पेश हुआ। वादीगण उपस्थित। वादीगण वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा डाबड़ा के वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

करवाने की इस्तदुआ वादीगण कर रहे हैं। वादीगण सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद डाबड़ा में खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 32.06 बीघा भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कलवानी

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 30.05.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कलवानी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—80—2018 / रीडर / 2018 / 799 दिनाँक 5/9/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188, R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सन्तोषदेवी पत्नी मोहनलल, उम्र—39साल, 2. मोहनलाल पुत्र हजारीमल, उम्र—45साल, समस्त,जाति—जाँगिड़, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बनवारीलाल पुत्र प्रेमराज महाजन, उम्र—52साल, 2. शान्ति पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र—71साल, 3. भगवती पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र—65साल, 4. सुवादेवी पुत्री प्रेमराज महाजन, उम्र—61साल, समस्त,जाति—महाजन, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-कालपानी

Scanned by CamScanner